UPVR010055982026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0 1844 / 2026

1– अनीस उर्फ अवनीश चौबे पुत्र राजेश चौबे निवासी ग्राम बभनपुरा थाना चोलापुर जिला वाराणसी।

2– अनिकेत उर्फ गोलू पुत्र स्व0 तेज बहादुर निवासी ग्राम मुरली थाना चोलापुर जिला वाराणसी।

3– धीरज उर्फ गोलू पुत्र साहब लाल यादव निवासी ग्राम मवइया थाना चोलापुर जिला वाराणसी।

.....प्रार्थीगण / अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....अभियोजक।

मु०अ०सं० 286 / 2026
धारा 3(5),115(2),352,351(3),317(2),
126(2),309(6) BNS
थाना–सारनाथ, जिला वाराणसी।

12–06–2026

प्रार्थीगण / अभियुक्तगण **अनीस उर्फ अवनीश चौबे, अनिकेत उर्फ गोलू व धीरज उर्फ गोलू** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण जिला कारागार, वाराणसी में निरूद्ध है।

प्रार्थीगण / अभियुक्तगण की ओर से कथन किया गया है कि यह उनका प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र भी दाखिल किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी अजय कुमार यादव के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वह अपने घर से निजी कार्य के लिए दिनांक 31.05.2026 को समय दोपहर 03.30 बजे बरियासनपुर जा रहा था कि रास्ते में सिंहपुर ओवरब्रिज पर जैसे ही पहुंचा पीछे से स्प्लेन्डर गाड़ी से ओवर टेककर रोक लिया गया जिस पर 3 अज्ञात लोग सवार थे जिसका गाड़ी नंबर यू0पी065एफ0सी04771 हीरो मोटरसाइकिल था उपरोक्त विपक्षीगण उसको मां बहन की गाली देते हुए छिना झपटी करने लगे। शोर करने पर कोई यात्री रूका नहीं। विपक्षी अज्ञात लोगों ने कहा कि उसके पास कितना नगद है, थप्पड़ मारकर तलाशी लेने लगे और बोले जान चाहते हो तो फोन पे रू0 1000 एक बार एवं स्वयं रू0 90000 ट्रांसफर किया। फिर धमकाते हुए भाग निकले।

प्रार्थीगण / अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि उन्हें उक्त अपराध में साजिशन फंसाया गया है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उक्त मुकदमा से कोई लेना–देना नहीं है। वादी द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है वह संदिग्ध प्रतीत होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में तीन अभियुक्तगण दो थाना सारनाथ से पकड़े गये हैं उनका क्या रोल है, क्या अपराध है, एफ0आई0आर0 में स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी अनीस का गेस्ट हाउस है जो बेलवा बाबा पाण्डेयपुर में स्थित है, उसी में वादी अपने दो अन्य साथियों के साथ रहने के लिए बिना आधार कार्ड का प्रयास किया और अवनीश चौबे / अभियुक्त बिना आधार कार्ड के रखने से मना किये इसी बात पर वादी मुकदमा और उसके दो दोस्त थे, अवनीश / अभियुक्त से कहासुनी हुआ, और सब लोग समझाने बुझाने पर वापस चले गये लेकिन वादी

मुकदमा द्वारा साजिश करके एफ0आई0आर0 की घटना कारित होना बताया है जबकि वादी द्वारा स्वयं साजिश करके उक्त मुकदमा के अभियुक्तगण को उक्त मुकदमें में फंसाया गया है और इसमें अभियुक्तगण की कोई गलती नहीं है। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा उक्त जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मेरे द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा को रास्ते में रोककर मां–बहन की गाली देते हुए छिना झपटी की गयी व अभियुक्तगण द्वारा उसके मोबाईल के फोनपे एप के माध्यम से रू0 91000 ट्रांसफर किया गया। अभियुक्त अनीस की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि फोनपे के द्वारा लूटे गये 910000 रूपये उसके खाते में नहीं आये, इस प्रकार उसके द्वारा किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ प्राप्त नहीं किया गया है और न ही वादी के साथ कोई उपहति कारित की गयी। दूसरी तरफ, अभियोजन की ओर से तर्क किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ उपहति कारित करते हुए रास्ते में रोककर उसके मोबाईल के फोनपे एप के माध्यम 91000 रूपये अनीस के गेम अकाउन्ट में ट्रांसफर किये गये। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि ऑनलाईन गेम तीन पत्ती महादेव के खाते में पैसा ट्रांसफर किये जाने का उल्लेख फर्द बरामदगी में है। ऑनलाईन गेम तीन पत्ती महादेव में खेले जाने वाले व्यक्ति के द्वारा लॉगिन अकाउन्ट/यूजर आई0डी0 देकर अपना अकाउन्ट बनाया जाता है जिसके विषय में अभियुक्तगण के द्वारा कहा गया है। केस डायरी के पर्चा संख्या 1 में चक्षुदर्शी साक्षी संतलाल तथा झब्बू राजभर के द्वारा घटना देखे जाने का उल्लेख है। अभियुक्तगण के द्वारा दोपहर के समय रास्ते में वादी को रोककर मां–बहन की गाली दी गयी एवं छीना झपटी की गयी तथा थप्पड़ मारकर कैश रूपये भी लूट लिये गये। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि घटना में वादी को मात्र एक थप्पड़ मारे जाने का उल्लेख है ऐसी स्थिति में धारा 394 भा0दं0सं0 का अपराध नहीं बनता। अभियुक्तगण का इस मामले के अतिरिक्त अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण पर अन्य धाराओं के साथ–साथ धारा 394 भा0दं0सं0 का आरोप है जिसमें आजीवन कारावास तक के दण्ड का प्रावधान है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के मत में मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **अनीस उर्फ अवनीश चौबे, अनिकेत उर्फ गोलू व धीरज उर्फ गोलू** के द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र तद्नुसार निरस्त किया जाता है।

दिनांक : 12–06–2026

(संध्या श्रीवास्तव)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी
JO Code-UP 6203